निदेशक, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 की अध्यक्षता में डा0 राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तीकरण योजना अन्तर्गत ई–पचांयत कार्यकारी समिति की षष्ठम बैठक का आयोजन।

दिनांकः–29 फरवरी, 2024
स्थानः– निदेशक, पंचायती राज के कार्यालय कक्ष।
समयः– सायं 04:00 बजे।

निदेशक, पंचायती राज, उ.प्र. की अध्यक्षता में डॉ राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तीकरण अभियान योजनान्तर्गत गठित ई–पंचायत कार्यकारी समिति की षष्ठम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें निम्नलिखित समिति के अध्यक्ष/सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया :–

क्रं0	नाम	पदनाम	विभाग
01	श्री राज कुमार	निदेशक, पंचायती राज	पंचायती राज, उ.प्र.
02	श्रीमती प्रवीणा चौधरी	उपनिदेशक(पं0)/नोडल अधिकारी, आर.जी.एस.ए.	पंचायती राज, उ.प्र.
03	श्री अमितोष श्रीवास्तव	मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी	पंचायती राज, उ.प्र.

- उक्त आयोजित बैठक में वरिष्ठ तकनीकी निदेशक द्वारा प्रतिभाग नहीं किया गया।

2. सम्यक विचारोपरान्त बैठक में समिति द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिया गये :–

एजेण्डा बिन्दु	समिति द्वारा लिए गये निर्णय
एजेण्डा बिन्दु–1: डा0 राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तीकरण योजना का संक्षिप्त परिचय।	**समिति द्वारा एजेण्डें की पुष्टि की गई।**
डॉ. राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तीकरण योजना, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2015–16 में परिकल्पित (concieved) की गयी। **योजना के उद्देश्य** :– • पंचायतों में ई–गवर्नेन्स की स्थापना करना। • पंचायतों में ई–गवर्नेन्स की उत्तरोत्तर वृद्धि किया जाना।	समिति सज्ञानित हुई।

- पंचायतों को सशक्तीकरण हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करना।
- पंचायतों का प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता विकास करना।

<u>योजना के घटक/गतिविधियॉ</u> :–

- राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई हेतु परामर्शी एवं कर्मी।
- मण्डल/जनपद कार्यक्रम प्रबन्धन इकाइयों हेतु परामर्शी।
- मण्डल/जनपद कार्यक्रम प्रबन्धन इकाईयों हेतु डेस्कटॉप कम्प्यूटर सिस्टम।
- ई–गर्वनेन्स के अन्तर्गत विकसित सॉफ्टवेयर पर प्रशिक्षण।

<u>योजना के संचालन हेतु समितियों का गठन</u> :–

राज्य स्तर पर दो समितियों का गठन राज्य स्तर पर निम्नलिखित रूप से दो समितियॉ होगीं।

(क)–ई–पंचायत स्टेट रिव्यू कमेटी :–शासन स्तर पर प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ.प्र. की अध्यक्षता में ई–पंचायत स्टेट रिव्यू कमेटी का गठन किया गया है।

(ख)–कार्यकारी समितिः–निदेशालय स्तर पर निदेशक महोदय की अध्यक्षता में कार्यकारी समिति का गठन किया गया है।

मा0 कमेटी के अवगतार्थ प्रस्तुत।

एजेण्डा बिन्दु–2: डॉ राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजनान्तर्गत पंचम बैठक में लिए गये निर्णयों के परिपालन की स्थिति तथा षष्ठम बैठक के एजेण्डे की पुष्टि।

चतुर्थ बैठक में लिए गए निर्णय	निर्णयों के परिपालन की स्थिति	समिति द्वारा लिए गये निर्णय
एजेण्डा बिन्दु–4 वर्ष 2021–22 में योजनान्तर्गत स्वीकृत बजट के सापेक्ष प्रस्तावित कार्ययोजना पर चर्चा एवं अनुमोदन।		
मद संख्या–42 (अन्य व्यय)	समिति द्वारा 75 जनपदों को 01–01 अदद कम्प्यूटर सिस्टम एवं प्रिंटर उपलब्ध कराये जाने हेतु मद संख्या–42 (अन्य व्यय) में अवमुक्त धनराशि रू0 185.00	समिति द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया गया था, परन्तु शासन स्तर से	**समिति संज्ञानित हुई।**

	लाख में से धनराशि रू0 63.75 लाख को मद संख्या–46 (कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर का क्रय) में शासन से पुर्नविनियोग कराये जाने हेतु शासन को प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये थें।	स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण मार्च, 2022 को धनराशि कोषागार को समर्पित कर दी गई।	
मद संख्या–46 (कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर का क्रय):–ग्राम पंचायतों में स्थापित पंचायत भवन एवं पंचायत इलेक्शन, 2021 तथा अन्नुगह धनराशि के डेटा को स्टोर करने हेतु निक्सी के माध्यम से क्लाउड स्टोरेज लिया जाना प्रस्तावित है।	• योजनान्तर्गत समिति द्वारा डेटा को स्टोर करने हेतु निक्सी के माध्यम से 5 टी. बी. क्लाउड स्टोरेज समयबद्ध रूप से लिए जाने के निर्देश दिये गये। • प्रदेश के प्रत्येक मण्डलीय उपनिदेशक(पं0) कार्यालयों हेंतु Zoom App का लाइसेंस क्रय कर उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये।	• समिति से प्राप्त निर्देश के क्रम में पंचायत इलेक्शन हेतु डेटा स्टोरेज हेतु प्राइवेट आन डिमाण्ड सर्वर क्रय कर निर्वाचन का कार्य पूर्ण करा लिया गया। • समिति से प्राप्त निर्देश के क्रम में Zoom App का लाइसेंस क्रय किये जाने हेतु सम्बंधित मण्डलीय उपनिदेशक(पं0) कार्यालयों को प्रति मण्डल रू0 1,00,000/– धनराशि अवमुक्त कर दी गई।	**समिति संज्ञानित हुई।**
मा0 कमेटी के अवगतार्थ प्रस्तुत।			

एजेण्डा बिन्दु–3: वर्ष 2023–24 में योजना के कियान्वयन की प्रगति एवं गतिविधियों पर अनुमोदन।

क्र.	मद संख्या	गतिविधियाँ/कार्य	प्राप्त धनराशि (लाख रू. में)	व्यय धनराशि (लाख रू. में)
1.	08	कार्यालय व्यय	60.00	46.86
2.	16	व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	100.00	99.83
3.	42	अन्य व्यय	185.00	101.35
4.	46	कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर का क्रय	35.00	18.33
5.	47	कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बंधी स्टेशनरी का क्रय	25.00	02.25
योग			**405.00**	**268.62**

समिति संज्ञानित हुई।

1. <u>कार्यालय व्यय (मद संख्या–08)</u> :–

- शासन/निदेशालय पर किराये पर प्रयोग किये जा रहे वाहनो के सापेक्ष मार्च, 2022 से दिसम्बर, 2023 तक के किराये का भुगतान किया जा चुका है तथा शेष माह का भुगतान संस्था द्वारा बिल प्रस्तुत किये जाने पर कराया जाना है।
- शासन/निदेशालय स्तर से मॉग के आधार पर उपलब्ध कराये जाने वाली स्टेशनरी एवं अन्य सामग्री उपलब्ध कराये जाने के सापेक्ष अब तक सम्बंधित संस्था द्वारा प्रस्तुत किये गये बिल का भुगतान कराया जा चुका है तथा समय–समय पर क्रय सामग्री के सापेक्ष संस्था द्वारा बिल प्रस्तुत किये जाने पर कराया जाना है।
- समय–समय पर मद की धनराशि से अन्य आवश्यक कार्यों के सापेक्ष भुगतान किया गया।

समिति संज्ञानित हुई एवं अनुमोदित।

2. <u>व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान (मद संख्या–16)</u>

:–

- योजनान्तर्गत शासन/निदेशालय स्तर पर कार्यरत कम्प्यूटर आपरेटर/आफिस हेल्पर आदि तथा मण्डल स्तर पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत तकनीकी रिर्सोसेज (मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक) तथा मण्डलीय एकाउन्टेंट का माह जनवरी, 2024 तक के मानदेय का भुगतान किया गया

समिति संज्ञानित हुई एवं अनुमोदित।

तथा शेष माह का उनकी सेवाओं के सापेक्ष भुगतान कराया जाना है। • योजनान्तर्गत वर्तमान में सेवाप्रदाता संस्था मेसर्स वर्ल्ड क्लास सर्विस लिमिटेड के माध्यम से प्रदेश के 18 मण्डलीय उपनिदेशक(पं0) कार्यालयों में से 12 मण्डलीय उपनिदेशक(पं0) कार्यालयों में एकाउन्टेंट की सेवाएं आउटसोर्सिंग पर उपलब्ध करायी जा रही है। 3. <u>अन्य व्यय (मद संख्या–42)</u> :– • प्रदेश के प्रत्येक मण्डल से पूर्व की भांति स्मार्ट पंचायत के रूप में उत्कृष्ट कार्य कर रही 01 स्मार्ट ग्राम पंचायत को रू0 02 लाख की धनराशि से तथा मॉडल/स्मार्ट कार्यालय के रूप में कार्य कर रहे जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में से 03 जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय को क्रमशः धनराशि रू0 03 लाख, 2.50 लाख, 02.00 लाख की धनराशि से पुरस्कृत किये जाने के क्रम में स्मार्ट जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय का मुल्यांकन तथा स्मार्ट ग्राम पंचायतों का मुल्यांकन की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है, जिसके सापेक्ष पुरस्कार की धनराशि सम्बंधित जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालयों को तथा सम्बंधित ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित कर कराया जाना है।	समिति संज्ञानित हुई एवं पुरस्कार की धनराशि आगामी चुनाव के दृष्टिगत आचार संहिता से पूर्व हस्तान्तरित किये जाने के निर्देश दिये गये।
• प्रदेश के समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालयों में जिला परियोजना प्रबन्धक के शासकीय कार्य हेतु धनराशि रू0 25,000/– की दर से विविध व्यय हेतु धनराशि हस्तान्तरित किया जा चुका है। • प्रदेश के समस्त ए.डी.ओ.(पं0) को शासकीय/तकनीकी कार्यों के सम्पादन के व्यय हेतु धनराशि रू0 10,000/– की दर से जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय को हस्तान्तरित किया जा चुका है। • समय–समय पर मद की धनराशि से अन्य आवश्यक कार्यों के सापेक्ष भुगतान किया गया।	समिति द्वारा योजनान्तर्गत जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालयों एवं ए.डी.ओं. (पं0) कार्यालयों को हस्तान्तरित की गई धनराशि के सापेक्ष किये गये व्यय का उपभोग प्रमाण–पत्र प्राप्त किये जाने के निर्देश दिये गये है।

4. <u>कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर का क्रय (मद संख्या–46)</u> :– • विभाग में संचालित योजनाओं की निदेशालय स्तर से प्रगति की समीक्षा एवं प्रशिक्षण हेतु Zoom App (1000 प्रतिभागियों के लिए 01 वर्ष हेतु) पुनः क्रय किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। • समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं0) कार्यालय के उपयोगार्थ Zoom App (1000 प्रतिभागियों के लिए 01 वर्ष हेतु) रू0 1,00,000/– प्रति मण्डल, इस प्रकार समस्त मण्डलों को कुल धनराशि रू0 18,00,000/– लाख की धनराशि वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु हस्तान्तरित किया जा चुका है। • पंचायती राज निदेशालय में आवश्यकतानुसार कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सहवर्ती उपकरण/सॉफ्टवेयर का क्रय किया जा रहा है। • समय–समय पर मद की धनराशि से अन्य आवश्यक कार्यों के सापेक्ष भुगतान किया गया।	समिति द्वारा उपलब्ध धनराशि में से योजना खण्ड–2 से प्रस्ताव प्राप्त कर कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सहवर्ती उपकरण उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये। समिति संज्ञानित हुई एवं निदेशालय में .....मॉग प्राप्त करने के उपरान्त क्रय किये जाने के निर्देश दिये गये है।
5. <u>कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बंधी स्टेशनरी का क्रय (मद संख्या–47)</u> :– • निदेशालय स्तर पर बी.एस.एन.एल. के माध्मय से स्थापित इण्टरनेट बिल का भुगतान समय–समय पर किया जाना है। • निदेशालय स्तर पर प्रयोग किये जा रहे अतिरिक्त 100 एम. बी.पी.एस. इन्टरनेट की सेवाओं के सापेक्ष संस्था द्वारा प्रस्तुत बिल के सापेक्ष भुगतान कराया जा रहा है। • समय–समय पर मद की धनराशि से अन्य आवश्यक कार्यों के सापेक्ष भुगतान किया गया।	समिति संज्ञानित हुई एवं अनुमोदित।
मा0 कमेटी से अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	
एजेण्डा बिन्दु–4: वर्ष 2024–25 में योजनान्तर्गत स्वीकृत बजट के सापेक्ष प्रस्तावित कार्ययोजना पर चर्चा एवं अनुमोदन। शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 अन्तर्गत विभाग द्वारा कुल धनराशि रू0 445.00 लाख अवमुक्त किये जाने हेतु शासन को प्रस्ताव प्रेषित	

किया गया, जिसके सापेक्ष शासन द्वारा 405.00 लाख का बजट आवंटित किया जिसका विवरण निम्नावत् है–

क्र.	मद संख्या	गतिविधियाँ / कार्य	वित्तीय वर्ष 2023–24 में अवमुक्त धनराशि (लाख रू. में)	वित्तीय वर्ष 2024–25 में अवमुक्त धनराशि (लाख रू. में)
1.	8	कार्यालय व्यय	60	60
2.	11	लेखन सामग्री की छपाई	-	20
3.	12	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	-	10
4.	13	टेलीफोन पर व्यय	-	05
5.	15	गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	-	10
6.	16	व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	100	25
7.	42	अन्य व्यय	185	100
8.	46	कम्प्यूटर हार्डवेयर / सॉफ्टवेयर का क्रय	35	25
9.	47	कम्प्यूटर अनुरक्षण / तत्सम्बंधी स्टेशनरी का क्रय	25	20
10.	58	आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	-	130
योग			**405.00**	**405.00**

समिति संज्ञानित हुई।

उक्त प्रस्तावित कार्ययोजना के सापेक्ष शासन द्वारा योजनान्तर्गत धनराशि रू0 405.00 लाख अवमुक्त किया गया है, जिसको व्यय किए जाने हेतु निम्नानुसार कार्ययोजना प्रस्तावित है :–

समिति संज्ञानित हुई एवं समिति द्वारा प्रस्तावित कार्यों को कराये जाने पर अनुमोदन तथा प्रदेश के समस्त सहायक विकास अधिकारी, (पं0) कार्यालयों को मद संख्या–08 (कार्यालय व्यय) रू0 5,000 / – प्रति विकासखण्ड की दर से धनराशि हस्तान्तरित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

1. कार्यालय व्यय (मद संख्या–08) :–

- विभाग में आवश्यकतानुसार ग्रीष्म और शरद कालीन व्यय किया जाना प्रस्तावित है।
- विभाग में योजना के संचालन हेतु अपेक्षित आकस्मिक व्यय किया जाना प्रस्तावित है।
- विभाग में डाक व्यय, सज्जा की खरीद, जनरेटर के डीजल आदि पर व्यय किया जाना प्रस्तावित है।
- विभाग में योजनान्तर्गत स्थापित मशीनों / उपकरणों का अनुरक्षण किया जाना प्रस्तावित है।

• समय–समय पर शासन/निदेशालय स्तर पर अन्य आवश्यक प्रशासनिक कार्यों पर होने वाले व्यय का भुगतान प्रस्तावित।	
2. <u>लेखन सामग्री की छपाई (मद संख्या–11)</u> :– • शासन/निदेशालय के उपयोगार्थ लेखन सामग्री का क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय किये जाने के सापेक्ष होने वाले व्यय का भुगतान किया जाना। • विभाग में आवश्यकतानुसार आई.ई.सी. गतिविधियों हेतु छपाई का कार्य कराये जाने के सापेक्ष भुगतान किया जाना। • समय–समय पर शासन/निदेशालय स्तर पर लेखन सम्बन्धी अन्य आवश्यक कार्यों पर होने वाले व्यय का भुगतान प्रस्तावित।	**समिति संज्ञानित हुई एवं अनुमोदित।**
3. <u>कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण (मद संख्या–12)</u> :– • निदेशालय स्तर पर अधिकारियों/परामर्शियों/कर्मियों हेतु आवश्यकतानुसार फर्नीचर एवं उपकरण का क्रय किया जाना प्रस्तावित है। • समय–समय पर शासन/निदेशालय स्तर पर अन्य आवश्यक कार्यों पर होने वाले व्यय का भुगतान प्रस्तावित।	**समिति संज्ञानित हुई एवं अनुमोदित।**
4. <u>टेलीफोन पर व्यय (मद संख्या–13)</u> :– • संयुक्त निदेशक, प्रिट/नोडल अधिकारी, आर.एम.एल.पी.एस.वाई. के कार्यालय कक्ष में स्थापित टेलीफोन का मासिक बिल के सापेक्ष भुगतान कराया जाना प्रस्तावित है। • निदेशालय स्तर पर बी.एस.एन.एल. के माध्यम से स्थापित इन्टरनेट का बिल भुगतान किया जाना प्रस्तावित है। • निदेशालय स्तर पर प्रयोग किये जा रहे अतिरिक्त 100 एम.बी.पी. एस. इन्टरनेट की सेवाओं के सापेक्ष संस्था द्वारा प्रस्तुत बिल के सापेक्ष भुगतान किया जाना प्रस्तावित है।	**समिति संज्ञानित हुई एवं अनुमोदित।**

• समय–समय पर शासन/निदेशालय स्तर पर अन्य आवश्यक कार्यों पर होने वाले व्यय का भुगतान प्रस्तावित।	
5. <u>गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद (मद संख्या–15)</u> :–	
• शासन/निदेशालय में किराये पर प्रयोग किये जा रहे वाहनो की सेवाएं मार्च, 2025 तक विस्तारित करते हुए सम्बंधित फर्म को भुगतान किया जाना प्रस्तावित है।	
• समय–समय पर शासन/निदेशालय स्तर पर अन्य आवश्यक कार्यों पर होने वाले व्यय का भुगतान प्रस्तावित।	समिति संज्ञानित हुई एवं अनुमोदित।
6. <u>व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान (मद संख्या–16)</u> :–	
• समय–समय पर शासन/निदेशालय स्तर पर अन्य आवश्यक कार्यों पर होने वाले व्यय का भुगतान प्रस्तावित।	
7. <u>अन्य व्यय (मद संख्या–42)</u> :–	
• प्रदेश के प्रत्येक मण्डल से पूर्व की भांति स्मार्ट पंचायत के रूप में उत्कृष्ट कार्य कर रही 01 स्मार्ट ग्राम पंचायत को रू0 02 लाख की धनराशि से तथा मॉडल/स्मार्ट कार्यालय के रूप में कार्य कर रहे जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में से 03 जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय को क्रमशः धनराशि रू0 03 लाख, 2.50 लाख, 02.00 लाख की धनराशि से पुरस्कृत किया जाना प्रस्तावित है।	समिति संज्ञानित हुई एवं अनुमोदित।
❖ **उपरोक्तानुसार गतिविधियों पर धनराशि रू0 43.50 लाख का व्यय प्रस्तावित है।**	
• प्रदेश के समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालयों में जिला परियोजना प्रबन्धक के शासकीय कार्य हेतु धनराशि रू0 25,000/– की दर से विविध व्यय हेतु धनराशि हस्तान्तरित किया जाना प्रस्तावित है।	समिति संज्ञानित हुई एवं मद संख्या–42 (अन्य व्यय) के बिन्दु संख्या–2 में जिला पंचायत राज अधिकारी को धनराशि हस्तान्तरित न करते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी के स्थान पर सहायक विकास अधिकारी, (पं0) कार्यालयों को रू0
• समय–समय पर शासन/निदेशालय स्तर पर अन्य आवश्यक कार्यों पर होने वाले व्यय का भुगतान प्रस्तावित।	

8. <u>कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर का क्रय (मद संख्या–46)</u> :– • विभाग में संचालित योजनाओं की निदेशालय स्तर से प्रगति की समीक्षा एवं प्रशिक्षण हेतु Zoom App (1000 प्रतिभागियों के लिए 01 वर्ष हेतु) पुनः क्रय किया जाना प्रस्तावित है। • समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं0) कार्यालय के उपयोगार्थ Zoom App (1000 प्रतिभागियों के लिए 01 वर्ष हेतु) रू0 1,00,000/– प्रति मण्डल, इस प्रकार समस्त मण्डलों को कुल धनराशि रू0 18,00,000/– लाख की धनराशि वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु हस्तान्तरित किया जाना प्रस्तावित है। • समय–समय पर शासन/निदेशालय स्तर पर अन्य आवश्यक कार्यों पर होने वाले व्यय का भुगतान प्रस्तावित।	5,000/– प्रति विकासखण्ड की दर से धनराशि हस्तान्तरित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। समिति संज्ञानित हुई एवं अनुमोदित।
9. <u>कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बंधी स्टेशनरी का क्रय (मद संख्या–47)</u> :– • विभाग में कम्प्यूटर से सम्बंधित अनुरक्षण एवं कम्प्यूटर स्टेशनरी, प्रिटर/कार्टेज आदि पर व्यय किया जाना प्रस्तावित है। • समय–समय पर शासन/निदेशालय स्तर पर अन्य आवश्यक कार्यों पर होने वाले व्यय का भुगतान प्रस्तावित।	समिति संज्ञानित हुई एवं अनुमोदित।
10. <u>आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान (मद संख्या–58)</u> :– • योजनान्तर्गत राज्य स्तर पर आउटसोर्सिंग पर स्वीकृत पद/कार्यरत रिर्सोसेज कम्प्यूटर आपरेटर/आफिस असिस्टेंट–02 एवं चपरासी–02 की सेवाएं दिनांक 01 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक विस्तारित करते हुए उनके मानदेय का भुगतान किया जाना प्रस्तावित है। • योजनान्तर्गत मण्डल स्तर पर आउटसोर्सिंग पर स्वीकृत पद/कार्यरत रिर्सोसेज यथा–मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक–18, मण्डलीय लेखाकार–18 की सेवाएं दिनांक 01 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक विस्तारित करते हुए उनके मानदेय का भुगतान किया जाना प्रस्तावित है। • योजनान्तर्गत राज्य स्तर पर कार्यरत आफिस असिस्टेंट/कम्प्यूटर आपरेटर एवं आफिस हेल्पर के मानदेय में आर.जी.एस.ए. योजना	समिति संज्ञानित हुई एवं अनुमोदित। समिति संज्ञानित हुई एवं आफिस असिस्टेंट तथा आफिस हेल्पर के मानदेय में वृद्वि किये जाने हेतु निदेशालय स्तर पर गठित कमेटी के

8. <u>कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर का क्रय (मद संख्या–46)</u> :– • विभाग में संचालित योजनाओं की निदेशालय स्तर से प्रगति की समीक्षा एवं प्रशिक्षण हेतु Zoom App (1000 प्रतिभागियों के लिए 01 वर्ष हेतु) पुनः क्रय किया जाना प्रस्तावित है। • समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं0) कार्यालय के उपयोगार्थ Zoom App (1000 प्रतिभागियों के लिए 01 वर्ष हेतु) रू0 1,00,000/– प्रति मण्डल, इस प्रकार समस्त मण्डलों को कुल धनराशि रू0 18,00,000/– लाख की धनराशि वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु हस्तान्तरित किया जाना प्रस्तावित है। • समय–समय पर शासन/निदेशालय स्तर पर अन्य आवश्यक कार्यों पर होने वाले व्यय का भुगतान प्रस्तावित।	5,000/– प्रति विकासखण्ड की दर से धनराशि हस्तान्तरित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। समिति संज्ञानित हुई एवं अनुमोदित।
9. <u>कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बंधी स्टेशनरी का क्रय (मद संख्या–47)</u> :– • विभाग में कम्प्यूटर से सम्बंधित अनुरक्षण एवं कम्प्यूटर स्टेशनरी, प्रिटर/कार्टेज आदि पर व्यय किया जाना प्रस्तावित है। • समय–समय पर शासन/निदेशालय स्तर पर अन्य आवश्यक कार्यों पर होने वाले व्यय का भुगतान प्रस्तावित।	समिति संज्ञानित हुई एवं अनुमोदित।
10. <u>आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान (मद संख्या–58)</u> :– • योजनान्तर्गत राज्य स्तर पर आउटसोर्सिंग पर स्वीकृत पद/कार्यरत रिर्सोसेज कम्प्यूटर आपरेटर/आफिस असिस्टेंट–02 एवं चपरासी–02 की सेवाएं दिनांक 01 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक विस्तारित करते हुए उनके मानदेय का भुगतान किया जाना प्रस्तावित है। • योजनान्तर्गत मण्डल स्तर पर आउटसोर्सिंग पर स्वीकृत पद/कार्यरत रिर्सोसेज यथा–मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक–18, मण्डलीय लेखाकार–18 की सेवाएं दिनांक 01 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक विस्तारित करते हुए उनके मानदेय का भुगतान किया जाना प्रस्तावित है। • योजनान्तर्गत राज्य स्तर पर कार्यरत आफिस असिस्टेंट/कम्प्यूटर आपरेटर एवं आफिस हेल्पर के मानदेय में आर.जी.एस.ए. योजना	समिति संज्ञानित हुई एवं अनुमोदित। समिति संज्ञानित हुई एवं आफिस असिस्टेंट तथा आफिस हेल्पर के मानदेय में वृद्वि किये जाने हेतु निदेशालय स्तर पर गठित कमेटी के

के अन्तर्गत आफिस असिस्टेंट के मानदेय के अनुरूप वृद्धि किया जाना प्रस्तावित। • समय–समय पर शासन/निदेशालय स्तर पर अन्य आवश्यक कार्यों पर होने वाले व्यय का भुगतान प्रस्तावित।	समक्ष पृथक से प्रस्ताव रखे जाने के निर्देश दिये गये।
मा0 कमेटी के अवगतार्थ एवं अनुमादनार्थ प्रस्तुत ।	

(प्रवीणा चौधरी),
उपनिदेशक(पं0)/नोडल अधिकारी,
सदस्य सचिव, आर.एम.एल.पी.एस.वाई.
, पंचायती राज निदेशालय, उ.प्र.।

(अमितोष श्रीवास्तव),
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी
पंचायती राज निदेशालय, उ.प्र.।

(राज कुमार),
निदेशक,
पंचायती राज, उ.प्र.।

संख्याः–5/171/2024–RMLPSY/05/2021 दिनांक 11 मार्च, 2024

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. आशुलिपिक, निदेशक, पंचायती राज को निदेशक महोदय के अवलोकनार्थ।
2. कमेटी के समस्त सदस्यगण।

(प्रवीणा चौधरी),
उपनिदेशक(पं0), पंचायती राज, उ.प्र.
/सदस्य सचिव, ई–पंचायत
कार्यकारी समिति, डॉ राम मनोहर
लोहिया पंचायत सशक्तीकरण योजना